कार्यालय प्राचार्य शासकीय नवीन महाविद्यालय कोण्टा जिला–सुकमा (छ.ग.)

क्रमांक / 197 / अ.व्या. / 2025 कोण्टा, दिनांक 25/07 / 2025

/ / अतिथि व्याख्याता हेतु विस्तृत विज्ञापन का प्रारूप / /

———000———

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रमांक 574 / 126 / आउशि / राज स्था / 2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 06 / 07 / 2024, छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक / एफ 3–54 / स्था. / 2020 / 38–1 नवा रायपुर, अटलनगर के पत्र क्रमांक / 77 / नि.स. / स. / उ.शि. / 2024 नवा रायपुर अटलनगर दिनांक 12 / 07 / 2024 के आदेशानुसार शासकीय नवीन महाविद्यालय, कोण्टा जिला–सुकमा (छ.ग.) का पत्र क्रमांक संक्षिप्त विज्ञापन 126 एवं विस्तृत विज्ञापन 128 / अ.व्या. / 2025 कोण्टा दिनांक 16 / 06 / 2025 शैक्षणिक सत्र 2025–26 हेतु रिक्त सहायक प्राध्यापकों के पदों के विरूद्ध अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। आवेदकों से अपने समस्त प्रमाण –पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 03 / 07 / 2025 को सायं 05:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) अभ्यर्थियों से आमंत्रित किये गये थे। शैक्षणिक सत्र 2025–26 के अंतर्गत अतिथि व्याख्याताओं की भर्ती हेतु आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर के आगामी निर्देश की प्रतीक्षा में अंतिम तिथि के पश्चात की कार्यवाही इस महाविद्यालय के पत्र क्रमांक / 173 / स्था. / 2025 कोण्टा दिनांक 07 / 07 / 2025 को रोका गया था।

छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का विभागीय ज्ञापन पत्र क्रमांक File No. :ESTB-1027/1216/2025/38-1 नवा रायपुर, अटलनगर दिनांक 23.07.2025 एवं कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र आदेश क्रमांक 289 / 01 / आउशि / राज स्था / 2025 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 23 / 07 / 2025, के निर्देशों के परिपालन में अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के अंतर्गत अर्हताधारी आवेदक अपने समस्त प्रमाण –पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन **दिनांक 04 / 08 / 2025 को सायं 05:30 बजे तक** केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) अभ्यर्थियों से आमंत्रित किये गये है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। अतिथि व्याख्याता नीति –2024 का विस्तृत विज्ञापन महाविद्यालय के सूचना पटल / अग्रणी कालेज वेबसाइट – govtcollegesukma.ac.in से किया जा सकता है।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताः–

1. अतिथि व्याख्यता / अतिथि शिक्षण सहायक को कार्य करने के लिए न्युनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्युनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिये परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
2. आयु सीमाः– अतिथि व्याख्याता / अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
3. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

विषय / पदों का विवरणः–

रिक्त पदों की संख्या	
विषय	**सहायक प्राध्यापक**
अंग्रेजी	01
रसायनशास्त्र	01
वनस्पतिशास्त्र	01
वाणिज्य	02
योग	**05**

नोट :– टीपः– 1. इस महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2025–26 में रिक्त पदों के विरूद्ध पूर्व में अतिथि व्याख्याता नीति–2024 के अंतर्गत अतिथि व्याख्याता हेतु जारी विज्ञापन के आधार पर आवेदन प्रेषित उम्मीदवार पुनः आवेदन न भेजे। पूर्व में महाविद्यालय को प्राप्त समस्त आवेदनों को गुणानुक्रम हेतु सम्मिलित

Scanned with OKEN Scanner

किया जावेगा।

2. संबंधित विषयों में नवीन/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी। रिक्त पदों की संख्या में परिवर्तन संभव है।

शर्तें:—

1. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट/एम.फिल./पी.एच.डी. अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।
2. अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक की वरीयता सूची का आधार अतिथि व्याख्यता नीति (पॉलिसी) – 2024 के कंडिका कमांक 6.5 के अनुसार होगा।
3. दिनांक 04/08/2025 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है, ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में आफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य मे आवेदन स्वीकार करने की इस प्रकिया में आनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।
4. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।
5. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 11/08/2025 को महाविद्यालय के सचूना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट में प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जाएगा।
6. गुणनुकम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 14/08/2025 तक होगी।
7. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 18/08/2025 को किया जावेगा जिसका अवलोकन अग्रणी महाविद्यालय की वेबसाईट govtcollegesukma.ac.in अथवा महाविद्यालय के सूचना पटल में किया जाएगा।
8. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र परिशिष्ट क्रमांक 2, 3, 4 में देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नही की गई है।
9. आवेदन उपरांत संबंधित आमंत्रित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
10. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।
11. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगाः–

क.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ)	**40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	400/–	300/–
2	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41,600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30,000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब)	**60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये**		
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिए	500/–	350/–
4	चार कालखंडो के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50,000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35,000/– प्रतिमाह अधिकतम)

12. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता **शासकीय नवीन महाविद्यालय कोण्टा, जिला– सुकमा (छ.ग.) पिनकोड– 494114 एवं आवेदित विषय/पद** आवश्यक रूप से लिखे।
13. इस विज्ञापन के तहत् व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता/ अतिथि शिक्षण सहायक को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत नहीं माना जाएगा और वे लोक–सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक–सेवक नहीं कहलायेंगे।
14. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार बिना सूचना के 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तो उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।
15. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner

16. कक्षाओं के संचालन के साथ–साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन , साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम ,क्रीड़ा गतिविधियों , युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन , नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग प्रदान करेंगे।
17. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में इनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।
18. यह विज्ञापन अतिथि व्याख्याता नीति–2024 में जारी किये गये नियमों एवं शर्तों के अधीन होगा।

PRINCIPAL
प्राचार्य
Govt. Naveen College Konta
शासकीय नवीन महाविद्यालय कोण्टा
Distt. Sukma (C.G.)
जिला–सुकमा (छ.ग.)

पृ.क./...198/अ.व्या/2025 कोण्टा, दिनांक 25/07/2025
प्रतिलिपि:–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय इन्द्रावती भवन नवा रायपुर (छ.ग.) को सादर सूचनार्थ।
2. अपर संचालक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय जगदलपुर को सादर सूचनार्थ।
3. जिला जनसंपर्क अधिकारी, सुकमा को समाचार स्वरूप प्रकाशनार्थ एवं सूचनार्थ।
4. प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय शासकीय बापुराव महाविद्यालय,सुकमा को सूचनार्थ।
5. सूचना पटल/वेबसाईट में अपलोड हेतु।
6. अतिथि व्याख्याता चयन समिति फाईल।

PRINCIPAL
प्राचार्य
शासकीय नवीन महाविद्यालय कोण्टा
Govt. Naveen College Konta
जिला–सुकमा (छ.ग.)
Distt. Sukma (C.G.)

Scanned with OKEN Scanner